

न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुभाष चंद्र

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का बागोली,

बनाम

श्री भीवाराम पुत्र श्री गुल्लाराम जाति माली निवासी बागोली तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

:-निर्णय:-

प्रकरण संख्या:- 25/2022

दिनांक 24.03.2022


पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का बागोली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत् 2078 में मौजा ग्राम बागोली पटवार हल्का बागोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 577 कुल रकबा 0.01 है0 किस्म गै0 मु0 में से 0.0050 है0 सरकारी भूमि पर श्री भीवाराम पुत्र गुल्लाराम जाति माली निवासी बागोली ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहा है। बार बार आवाज लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थीगण को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश

वाके ग्राम बागोली पटवार हल्का बागोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 577 कुल रकबा 0.01 है0 किस्म गै0 मु0 में से 0.0050 है0 भूमि पर से श्री भीवाराम पुत्र गुटाराम जाति माली निवासी बागोली को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.01 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 5/-रुपये (अक्षरे रू पांच मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।


(सुभाष चंद्र)

तहसीलदार उदयपुरवाटी

2021-22

पृष्ठ 55

55

Rajasthan

TRN

